न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
16 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	04.03.2020	16.12.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री सीताराम विजय पुत्र श्री रामसहाय विजय एफ.बी.ओ मैसर्स राम राजेश्वर बाल किशन सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी घोषी मोहल्ला देवली जिला टोंक

2–मैसर्स राम राजेश्वर बाल किशन सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0

3–श्री अविनाश हेमन्त पुत्र श्री हेमन्त गोविन्द लाल निवासी बी–19 श्री राम मार्ग श्याम नगर जयपुर पार्टनर मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिग कम्पनी श्री मुनि महाराज आश्रम के पास मेडता सिटी नागौर राज0

4– मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिग कम्पनी श्री मुनि महाराज आश्रम के पास मेडता सिटी नागौर राज0(जरिये श्री अविनाश हेमन्त पुत्र श्री हेमन्त गोविन्द लाल पार्टनर मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिग कम्पनी श्री मुनि महाराज आश्रम के पास मेडता सिटी नागौर राज0)

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–श्री विजेन्द्र गोयल,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक **16.12.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.10.2019 को समय 05.02 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स राम राजेश्वर बाल किशन सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0पर पहुंचां। प्रोपरायटर की हैसियत से सीताराम विजय पुत्र श्री रामसहाय विजय एफ.बी.ओ मैसर्स राम राजेश्वर बाल किशन सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी घोषी मोहल्ला देवली जिला टोंक ... का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:10:41 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **जीरा साबुत लक्ष्मी ब्राण्ड पॉली पैक** (Spices Cumin Whole Laxmi Brand Poly Pack)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जिसके बैच नम्बर 08 व पैकिंग दिनांक अगस्त 2019 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री सीताराम विजय को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता सीताराम विजय एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 500–500 ग्राम के 50 पैकेट दुकान मे **जीरा साबुत लक्ष्मी ब्राण्ड पॉली पैक** (Spices Cumin Whole Laxmi Brand Poly Pack) रखे हुये मे से 500–500 ग्राम के चार पैकेट का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री सीताराम विजय को रू0 400/–अक्षरे चार सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **जीरा साबुत लक्ष्मी ब्राण्ड पॉली पैक** (Spices Cumin Whole Laxmi Brand Poly Pack) 500–500 ग्राम के चार पैकिट को अलग–अलग चार भागो को चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे अलग–अलग ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड रखकर डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट बंद किया एंव नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2305 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2305 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. रंगलाल माली के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री सीताराम विजय ने बतोर वांरटी मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिग कम्पनी श्री मुनि महाराज आश्रम के पास मेडता सिटी नागौर राज0 का बिल संख्यॉ/इनवोइस संख्या 2023 दिनांक 14.08.2019 की छायाप्रति प्रस्तुत की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2375 दिनांक 11.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2230/एक्ट/2019/1772 दिनांक 18.10.2019 अनुसार सीताराम विजय से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **जीरा साबुत लक्ष्मी ब्राण्ड पॉली पैक** (Spices Cumin Whole Laxmi Brand Poly Pack) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (xf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-Branded) व अवमानक (Sub-Standard)स्तर का होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:10:41 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्यायालय
टोंक

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण **द्वारा मिथ्याछाप** (Mis-branded) **व अवमानक** (Sub-Standard)स्तर का **जीरा साबुत लक्ष्मी ब्राण्ड पॉली पैक** (Spices Cumin Whole Laxmi Brand Poly Pack) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **जीरा साबुत लक्ष्मी ब्राण्ड पॉली पैक** (Spices Cumin Whole Laxmi Brand Poly Pack) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **जीरा साबुत लक्ष्मी ब्राण्ड पॉली पैक** (Spices Cumin Whole Laxmi Brand Poly Pack) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) **व अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री सीताराम विजय पुत्र श्री रामसहाय विजय एफ.बी.ओ मैसर्स राम राजेश्वर बाल किशन सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 निवासी घोषी मोहल्ला देवली जिला टोंक पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) अप्रार्थी अविनाश हेमन्त पुत्र श्री हेमन्त गोविन्द लाल निवासी बी–19 श्री राम मार्ग श्याम नगर जयपुर पार्टनर मैसर्स श्री मदन मोहन ट्रेडिंग कम्पनी श्री मुनि महाराज आश्रम के पास मेडता सिटी नागौर राज0 पर शास्ति 20,000 (अक्षरे बीस हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.12.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।
निर्णय आज दिनांक 16.12.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.01.21 11:10:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0